# झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

## संकल्प

राँची, दिनांक-04/07/2018

संख्या-5/आरोप-1-100/2017-918 (HRMS)/ ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-(N)1930, दिनांक-04.07.2017 द्वारा श्रीमती नूतन कुमारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चितरपुर के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित हैं-

आरोप सं०-1. प्रतिदिन औसतन 100 मानव दिवस के विरूद्ध मात्र 37 मानव दिवस सृजन होना।

आरोप सं०-2. डोभा निर्माण लक्ष्य 250 के विरूद्ध मात्र 111 पर ही क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है।

आरोप सं०-3. चितरपुर प्रखण्ड में निर्गत 6339 जॉब कार्ड के विरूद्ध मात्र 2629 जॉब कार्ड (41%) का सत्यापन किया गया है।

आरोप सं०-4. लंबित सभी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर MIS में close करने का निदेश विभाग द्वारा दिया गया था, परंतु चितरपुर प्रखण्ड में वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं उससे पूर्व की 44, वित्तीय वर्ष 2015-16 की 04 तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 की 238 योजनाओं को पूर्ण कर close नहीं किया गया है।

आरोप सं०-5. चितरपुर प्रखण्ड में वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल मजदूरों पर भुगतेय राशि 196.49 लाख के विरूद्ध 31.29 लाख का Delay payment किया गया है, जो कुल भुगतेय राशि का कुल 16 प्रतिशत है।

आरोप सं०-6. निदेश के बावजूद चितरपुर प्रखण्ड में कुल सृजित परिसम्पत्तियों के विरूद्ध मात्र 20 प्रतिशत परिसम्पत्तियों की Geo-tagging की गयी है।

2. उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक-9853, दिनांक-18.09.2017 द्वारा श्रीमती कुमारी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके आलोक में श्रीमती कुमारी के पत्रांक-988, दिनांक-13.11.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

3. श्रीमती कुमारी से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-12357, दिनांक-18.12.2017 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-(N)622, दिनांक-16.03.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया । प्राप्त मंतव्य के अनुसार, प्रपत्र- 'क' का गठन करने के समय मनरेगा योजना में उपलब्धि न्यून थी, परन्तु बाद में उनके द्वारा बेहतर प्रयास कर संतोषजनक उपलब्धि प्राप्त की गयी। अतः इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

4. श्रीमती कुमारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टिकरण तथा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से प्राप्त मंतव्य के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के मंतव्य से सहमत होते हुए श्रीमती नूतन कुमारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चितरपुर, रामगढ़ को आरोपमुक्त करते हुए मामले को संचिकास्त किया जाता है।

| Sr No. | Employee Name G.P.F. No. | Decision of the Competent authority |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | NUTAN KUMARI 110081163089 | श्रीमती नूतन कुमारी, झा०प्र०से०, प्रखंड विकास पदाधिकारी, चितरपुर को ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-(N)1930, दिनांक- 04.07.2017 द्वारा प्रपत्र-'क' में गठित आरोपों से मुक्त किया जाता है. |

.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

( सतीश कुमार जायसवाल )
सरकार के उप सचिव
जीपीएफ संख्या:ROH/RVP/1007

ज्ञापांक-5/आरोप-1-100/2017-918 (HRMS)/राँची दिनांक-04/07/2018

नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/विभागीय अपर मुख्य सचिव कोषांग/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/ श्रीमती नूतन कुमारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चितरपुर, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-5/आरोप-1-100/2017-918 (HRMS)/राँची दिनांक-04/07/2018

विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-3 एवं 4/विभागीय अवर सचिव, प्रशाखा-6/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

Prepared By:- SHRI SATYAM BHARDWAJ - ( 110093431070 )